पाठ 21

हमारा स्थानीय स्वशासन

आइए सीखें

- स्थानीय स्वशासन का अर्थ व महत्व क्या है।
- त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम, जनपद व जिला पंचायतें- इनका गठन और कार्य।

सामुदायिक विकास में स्थानीय नागरिकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। यह ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। स्थानीय आवश्यकताएँ एवं उनकी पूर्ति वहां की परिस्थितियों में कैसे पूरी की जा सकती हैं? इसे स्थानीय नागरिक बेहतर ढंग से जानते हैं तथा यह उनके स्वयं के हित में भी है कि वे एक साथ मिलकर स्थानीय समस्याओं का स्थानीय हल निकालें। सरकार उनकी क्या सहायता कर सकती है? इसे वे राज्य अथवा केंद्र सरकार को उचित माध्यम से अवगत करा सकते हैं।

जब किसी क्षेत्र के लोग किसी समिति या संस्था के माध्यम से स्वयं मिलकर दिन-प्रतिदिन की अपनी समस्याएं सुलझाते हैं, उचित वैधानिक उपाय करते हैं तो उसे स्थानीय स्वशासन कहते हैं।

स्थानीय स्वशासन का महत्व

हमारे देश में स्थानीय स्वशासित संस्थाओं का निर्माण गांवों, नगरों और शहरों के विकास के लिए अलग-अलग प्रकार से किया गया है। इसका कारण स्थान-स्थान पर समस्याओं का स्वरूप अलग-अलग होना है। स्थानीय स्वशासन का महत्व इस प्रकार है-

1. स्थानीय स्वशासी संस्थाएँ लोगों को अपनी समस्याएँ सुलझाने का अवसर प्रदान करती हैं।
2. स्थानीय स्वशासी संस्थाएँ लोगों में आत्मनिर्भरता का विकास करती है।
3. सहकारिता के आधार पर लोगों में अपनी दशा सुधारने का उत्साह पैदा करती हैं।
4. स्थानीय लोगों में नेतृत्व बढ़ाने की क्षमता का विकास करती है।
5. स्थानीय लोगों में अपने छोटे से क्षेत्रों में कार्य करके अनुभव प्राप्त करने की समझ विकसित करती है।

त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था

ग्राम स्तर पर (1) ग्राम पंचायत, विकास खंड स्तर पर (2) जनपद पंचायत तथा जिला स्तर पर (3) जिला पंचायतें गठित की गई हैं। इन्हीं तीन स्तरों में स्थापित व्यवस्था को त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था नवीन कल्पना नहीं है। प्राचीन समय में भी भारत में

पंचायतों का अस्तित्व रहा है। ब्रिटिश शासन के दौरान सरकार के असहयोग के कारण धीरे-धीरे पंचायतों की अवनति होती गई व पंचायतें समाप्त सी हो गई। महात्मा गांधीजी ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान पुरानी पंचायती व्यवस्था के पुनरुद्धार की जोरदार वकालत की।

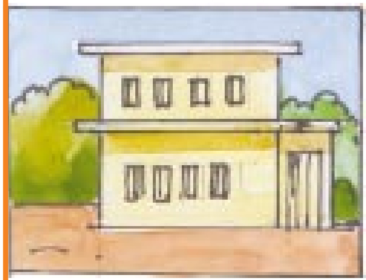

जिला पंचायत

जनपद पंचायत

ग्राम पंचायत

त्रिस्तरीय पंचायती राज

संविधान के 73वें संशोधन के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था एक कानून के रूप में 24 अप्रैल 1994 से सम्पूर्ण देश में लागू है।

मध्यप्रदेश राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था 1994 से सम्पूर्ण प्रदेश में लागू की गई। इसके अंतर्गत स्थापित तीनों पंचायतों की जानकारी इस प्रकार है-

1. ग्राम पंचायत

ग्राम पंचायत का गठन कम से कम 1000 की आबादी पर किया जाता है। जिन गांवों की आबादी इतनी संख्या में नहीं होती वहां आसपास के गांव जोड़ दिये जाते हैं। ग्राम पंचायतों में ग्रामों को कई छोटे-छोटे क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, उन्हें वार्ड कहते हैं। प्रत्येक वार्ड के लोग अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, जिन्हें पंच कहते हैं। पंचों का चुनाव मतदाताओं द्वारा किया जाता है।

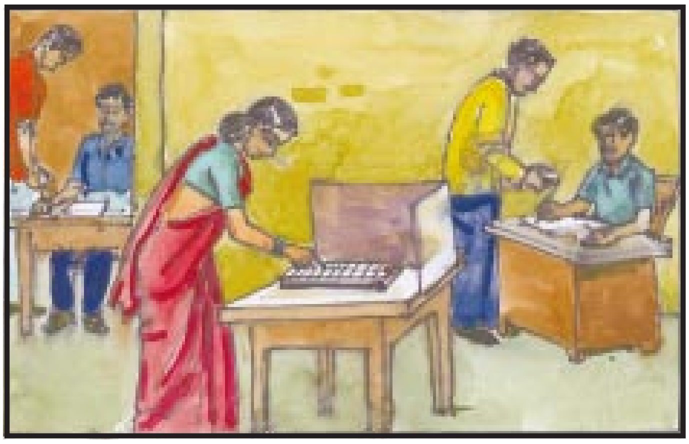

मतदान

मतदाता- 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के प्रत्येक स्त्री व पुरुष को, जिनका नाम उस क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज होता है उन्हें मतदाता कहते हैं।

चुनावों के समय मतदाता अपना मत देकर प्रतिनिधि चुनते हैं, इस अधिकार को मताधिकार कहा जाता है।

एक ग्राम पंचायत में कम से कम 10 और अधिक से अधिक 20 वार्ड होते हैं तथा इतनी ही संख्या में पंच होते हैं। प्रत्येक वार्ड में यथासंभव मतदाताओं की संख्या लगभग समान रखी जाती हैं। ग्राम पंचायत में कुछ सीटें अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए आरक्षित की जाती हैं। एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए भी आरक्षित है। यह व्यवस्था आरक्षण कहलाती है।

सरपंच

ग्राम पंचायत के प्रधान या मुखिया को सरपंच कहा जाता है। सरपंच का चुनाव, क्षेत्र के सभी मतदाताओं द्वारा सीधे किया जाता है।

सरपंच ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। यह बैठक की अध्यक्षता करता है। पंचायतों के अंतर्गत एक पंचायत सचिव अथवा पंचायतकर्मी की नियुक्ति शासन द्वारा की जाती है। पंचायत सचिव सभी प्रकार का लेखा-जोखा रखता है।

प्रत्येक ग्राम पंचायत एक उपसरपंच का चुनाव भी करती है। इसका चुनाव पंचों द्वारा चुने हुए पंचों में से किया जाता है। सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच उसके कार्य करता है।

ग्राम पंचायत का कार्यकाल पांच वर्ष निर्धारित है। सरपंच द्वारा दायित्वों का निर्वहन यदि भली प्रकार नहीं किया जा रहा हो तो अविश्वास प्रस्ताव पारित कर उसे पद से पृथक किया जा सकता है।

ग्राम पंचायत के कार्य

ग्राम पंचायत गांव के सामान्य प्रशासन की देखभाल भी करती है। इसका मुख्य कार्य नागरिक सुविधाएं जैसे- पानी, स्वास्थ्य, सफाई, शिक्षा, विद्युत/प्रकाश व्यवस्था और ग्राम के मार्गों आदि का रख-रखाव करना है। ग्राम पंचायत के अन्य कार्यों के अंतर्गत ग्राम में सम्पत्ति की खरीद-बिक्री का लिखित प्रमाण, जन्म-मृत्यु का विवरण, हाट-मेलों का आयोजन, वृक्षारोपण जैसे कार्य भी शामिल हैं।

ग्राम पंचायत की आय के साधन

ग्राम पंचायत लोगों से सफाई, बिजली, निजी मकानों, हाट-मेलों आदि पर कर लगाकर आय जुटाती है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायतों को राज्य सरकार से अनुदान भी प्राप्त होता है। ग्राम पंचायत का वार्षिक आय व व्यय का लेखा ग्राम सभा की बैठक में प्रस्तुत किया जाता है।

ग्राम सभा- प्रत्येक गांव में एक ग्राम सभा होती है। यह सभा ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव करती है। ग्राम सभा गाँव की सामान्य सभा है। ग्राम सभा की बैठक प्रति तीन माह में होती है। ग्राम सभा में गांव

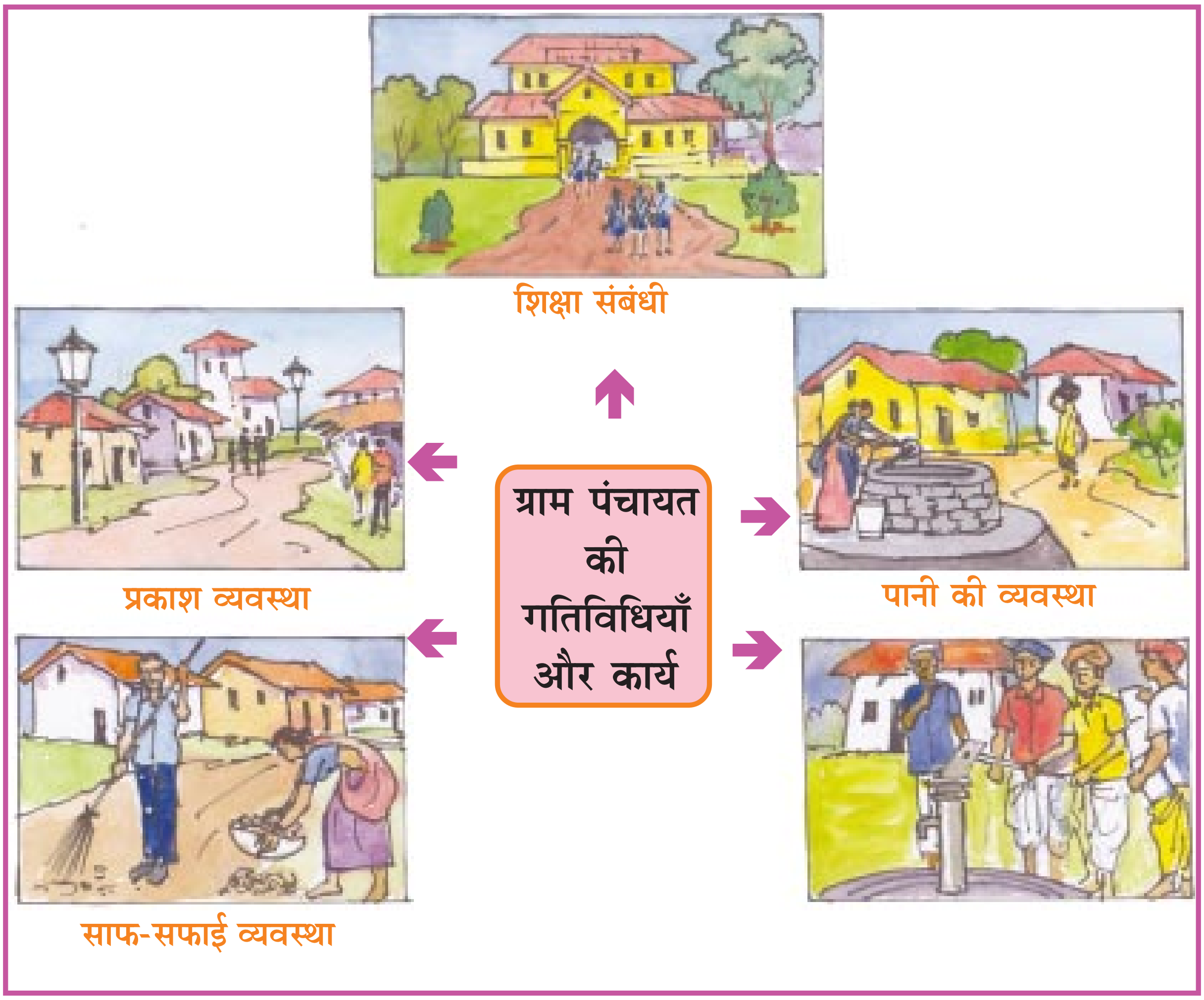

के लोग अपनी समस्याओं पर चर्चा करते हैं।

ग्राम पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी मतदाता ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ग्राम सभा नीतिगत निर्णय लेती हैं तथा ग्राम पंचायत द्वारा किये गए कार्यों की समीक्षा करती है।

2 जनपद पंचायत

जनपद पंचायतों का गठन विकासखंड स्तर पर किया जाता है। एक जनपद पंचायत क्षेत्र में उस विकास खंड की समस्त ग्राम पंचायतें शामिल की जाती हैं।

गठन- ग्राम पंचायत के सदस्यों की भांति जनपद पंचायत के सदस्यों का चुनाव उस क्षेत्र के मतदाताओं के द्वारा होता है। 5 वर्ष के लिए चुने हुए सदस्यों के अलावा उस खंड के निर्वाचित विधानसभा सदस्य भी उस जनपद पंचायत के सदस्य होते हैं। जनपद पंचायत के कार्यों की देख-रेख के लिए जनपद पंचायत के सदस्य अपना अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष अपने बीच से ही चुनते हैं। जनपद पंचायत में चुने हुए सदस्यों की संख्या

10 से लेकर 25 तक होती है। जनपद पंचायत क्षेत्र में शामिल ग्राम पंचायतों के सरपंचों को 1\5 संख्या में एक वर्ष के लिए सदस्य बनाया जाता है। जनपद पंचायतों में भी ग्राम पंचायत की भांति अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है।

जनपद पंचायत के कार्य

जनपद पंचायत का महत्वपूर्ण कार्य ग्राम पंचायतों को राज्य सरकार से धन दिलवाना है। जनपद पंचायत ही ग्राम पंचायतों के कार्यों की देख-रेख करती है।

ग्रामों के समग्र विकास के लिए पंचायतों को विशेषज्ञों की सेवा उपलब्ध कराना- जैसे कृषि, शिक्षा, अधोसंरचना, चिकित्सा आदि। महिला, युवा, बाल कल्याण तथा नि:शक्त एवं निराश्रितों के कल्याण हेतु कार्य, परिवार नियोजन, खेलकूद और ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम आदि की व्यवस्था, सहायता तथा संचालन करना जनपद पंचायत के कार्यों में शामिल है।

प्राकृतिक आपदाओं में आपात सहायता की व्यवस्था करना, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रचार-प्रसार करना इनका कार्य है। वर्तमान में जनपद पंचायतें शिक्षाकर्मी, संविदा शिक्षक, गुरुजी, पंचायत कर्मी, जन स्वास्थ्य रक्षक के पदों पर नियुक्ति भी करती है।

आय के साधन - जनपद पंचायत को अपने क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न साधनों से आय प्राप्त होती है।

1. कर लगाकर- जनपद पंचायत मकान, जमीन, बिजली, पानी, मेलों और बाजारों पर कर लगाकर धन एकत्रित करती है।
2. राज्य सरकार से विभिन्न प्रकार की सहायता तथा अनुदान प्राप्त करती है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जनपद पंचायत स्तर पर यह सर्वोच्च अधिकारी होता है। इसका मुख्य कार्य जनपद पंचायत के निर्णयों को लागू करवाना होता है।

3 जिला पंचायत

त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में जिला पंचायत सर्वोच्च इकाई है। जिला पंचायत चूंकि जिले स्तर पर होती है, अत: एक जिले की सभी जनपद पंचायतें इसके अंतर्गत आती हैं।

गठन

जिला पंचायत के सदस्य जिले के मतदाताओं द्वारा पांच वर्ष के लिए चुने जाते हैं। जिला पंचायत में

सदस्यों की संख्या 10 से 35 तक होती है।

जिले की विधान सभाओं, लोक सभा और राज्य सभा के सदस्य भी जिला पंचायत के सदस्य होते हैं। विधानसभा व लोकसभा के वे सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र पूर्णत: या अंशत: ग्रामीण क्षेत्र में आता है और राज्य सभा के वे सदस्य जिनका नाम जिले की ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में है, वे ही इसके सदस्य होते हैं।

इसके अतिरिक्त जिले की जनपद पंचायतों के समस्त अध्यक्ष भी नियमानुसार जिला पंचायत के सदस्य होते हैं। सदस्यों के आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है। जिला पंचायत के अध्यक्ष को राज्यमंत्री का दर्जा प्राप्त होता है।

जिला पंचायत के कार्य

जिला पंचायत का मुख्य कार्य ग्राम पंचायतों एवं जनपद पंचायतों के कार्यों की देख-रेख करना होता है। ग्राम पंचायत और जनपद पंचायतों को उनके कार्यों के लिए धन उपलब्ध कराना जिला पंचायत का कार्य है। जिला पंचायत जिले में स्थापित सभी सरकारी विभागों से समन्वय करती है। जिला पंचायत राज्य सरकार के निर्देश पर कुछ शासकीय पदों पर नियुक्तियाँ भी करती हैं।

जिला पंचायत की आय के साधन

जिला पंचायत की आय का प्रमुख साधन राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान होता है। इसके अतिरिक्त जिला पंचायत मकानों, दुकानों, मेलों आदि पर कर लगाकर आय अर्जित करती है।

जिला पंचायत में मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जिला पंचायत के निर्णयों को जिले में लागू करवाने के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है। यह अधिकांशतः भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य होता है।

- सामुदायिक विकास में स्थानीय लोगों की भागीदारी आवश्यक है।
- जब किसी क्षेत्र के लोग स्वयं मिलकर अपनी (क्षेत्र की) समस्याएं सुलझाते हैं, उचित वैधानिक उपाय करते हैं, तो उसे स्थानीय स्वशासन कहते हैं।
- स्वशासी संस्थाएँ लोगों में नेतृत्व क्षमता बढ़ाने का कार्य करती हैं।
- त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत शामिल हैं।

अभ्यास प्रश्न

1. लघु उत्तरीय प्रश्न-

(अ) ग्राम पंचायत के मुखिया को क्या कहते हैं?

(ब) पंचायतों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है?

(स) ग्राम सभा की बैठक कितने माहों में होती हैं?

(द) जिला पंचायत के अध्यक्ष को कौन सा दर्जा प्राप्त है?

2. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

(अ) स्थानीय स्वशासन का अर्थ समझाइए।

(ब) ग्राम पंचायत का गठन कैसे होता है? समझाइए?

(स) ग्राम पंचायतें ग्रामों के विकास के लिए क्या-क्या कार्य करती हैं?

(द) जनपद पंचायत का गठन एवं कार्यविधि समझाइए।

(य) जिला पंचायत के सदस्य कौन-कौन व्यक्ति होते हैं?

प्रोजेक्ट कार्य-

- आपके ग्राम/नगर की मुख्य समस्याएँ क्या हैं? इनकी सूची बनाइए। इन समस्याओं का निराकरण किनके द्वारा किया जा सकता है? लिखिए।
- पंचायत या अन्य स्थानीय संस्था की गतिविधि को कक्षा में अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत करें।

❖❖❖❖